राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)

फा.सं. 33-1/2023/कोर्ट केस/कार्मिक/एलआईएमबीएस

दिनांक: 6 अप्रैल, 2023

कार्यालय आदेश-09/2022-23/नीपा

यह विधि और न्याय मंत्रालय के डीओ पत्र LA-85015/3/2022-एलआईएमबीएस दिनांक 23.12.2022, डीओ सं. A-60011/1179/2022.प्रशा.IV(एलए) दिनांक 12.10. 2022, डी.ओ. सं. ए 60011(आई.टी)/5/2018-प्रशा.IV(एलए) दिनांक 02 05.2022 और कैबिनेट सचिवालय डी.ओ. पत्र संख्या 403/1/1/2018-सीए-V दिनांक 25.05.2018 के निर्देशानुसार है। कोर्ट केसों के समय पर निगरानी और संस्थान के सभी कोर्ट केसों की निगरानी और अद्यतन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देशों के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी कानूनी सूचना प्रबंधन और विवरण प्रणाली (LIMBS) की जानकारी और कार्यान्वयन को अद्यतन करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में डॉ. डी.एस. ठाकुर, प्रलेखन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) को नामित करते हैं।

कानूनी सूचना प्रबंधन और विवरण प्रणाली, भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभागों द्वारा सक्रिय, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में मुकदमों की निगरानी करने के लिए एक पूर्ण वेब-आधारित गतिशील प्रक्रिया (https://limps.gov.in} है।

पोर्टल पर सभी सूचना प्रस्तुत करने से नोडल मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय) को जैसा भी मामला हो, विवरणों को देखने और निगरानी/सलाह देने में भी मदद मिलेगी, जिसमें नोडल मंत्रालय एक प्रतिवादी या माननीय न्यायालय में अपील की फाइलिंग/एसएलपी की निगरानी शामिल है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नः ए/ए

कुलसचिव

प्रति:

डॉ. डी.एस. ठाकुर
प्रलेखन अधिकारी /
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रतिलिपि:

1. विभागों/केंद्रों/एककों के प्रमुख
2. समस्त अनुभाग प्रभारी
3. कुलपति के निजी सचिव -- माननीय कुलपति के सूचनार्थ
4. वित्त अधिकारी
5. कुलसचिव के निजी सहायक
6. सिस्टम एनालिस्ट को नीपा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु